राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

नोवल कोरोना वायरस (COVID-19)

कोविड–19 टीकाकरण

निजी स्वास्थ्य संस्थानों के संचालक कृपया ध्यान दें

भारत सरकार के दिशा–निदेशानुसार कोविड–19 टीकाकरण अन्तर्गत प्रथम चरण में हेल्थ केयर वर्कर का टीकाकरण किया जाना है। टीकाकरण हेतु सभी स्वास्थ्य कर्मियों (सरकारी एवं निजी) का पंजीकरण CoWIN पोर्टल पर किया जाना है। प्रथम चरण में पंजीकृत स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या के आधार पर ही भारत सरकार द्वारा कोविड–19 टीकाकरण हेतु टीका उपलब्ध कराया जायेगा।

अतः टीकाकरण हेतु निजी स्वास्थ्य संस्थान (मेडिकल कॉलेज, कॉरपोरेट अस्पताल, नर्सिंग होम, पॉली क्लिनिक, ओ.पी.डी. क्लिनिक एवं अन्य निजी स्वास्थ्य संस्थान) के संस्थापक लिंकः https://164.100.130.11:8083/ri/login.aspx के माध्यम से सर्वप्रथम अपने संस्थान का यूजर आई.डी. बना सकते हैं, तदोपरांत लॉग इन कर अपने संस्थान में कार्यरत चिकित्सकों, नर्सिंग, पारा मेडिकल स्टॉफ एवं अन्य सभी स्तर के कर्मियों का पंजीकरण करा सकते हैं।

पंजीकरण की अंतिम तिथिः 07.01.2021

विस्तृत जानकारी हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के टॉल फ्री हेल्प लाईन नं. 104 अथवा वेबसाइटः www.statehealthsocietybihar.org या संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

28/12/2020

कार्यपालक निदेशक
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार